

सं क्र:जीजेसी/101/एमएंडआर/आरएनडब्ल्यू/2018-19/017

25 मार्च, 2019

सेवा में,

जीजेईपीसी के सभी सदस्य,

विषय: वित्तीय वर्ष 2019 - 2020 की सदस्यता के नवीकरण के लिए नोटिस

महोदय,

A) नवीकरण (केवल ऑनलाइन)

हमारे परिपत्र जीजेसी / 101 / एम एंड आर / आरएनडब्ल्यू / 2018-19 / 00041 तारीख, 7 जनवरी, 2019, के क्रम में आपसे अनुरोध है कि परिषद के मेमोरेण्डम अंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, परिषद में आपकी सदस्यता नवीनीकरण 30 अप्रैल 2019 तक या उससे पूर्व किया जाना आवश्यक है। आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया जाता है की जिन सदस्यों के आरसीएमसी की अवधि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रही है उसका भी नवीनीकरण किया जाना है, ऐसे सदस्यों से आग्रह है की आरसीएमसी नवीनीकरण हेतु संबंधित जीजेपीईसी कार्यालयों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन कर दें।

RCMC के नवीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची-https://www.gjepc.org/procedure_hindi.php

नवीनीकरण प्रक्रिया एक साथ सभी कार्यालय -पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय सूरत और दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में शुरू होगी।

B. सीओए का चुनाव

सदस्यगण ध्यान दे कि वित्त वर्ष 2019-20 में जीजेईपीसी के सीओए का चुनाव होना है। उनके द्वारा चुने हुये पैनल के अनुसार 30 अप्रैल 2019 या उससे पहले जिन सदस्यों ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवाया है, उन्हीं का नाम मतदाता सूची में नामांकित किया जाएगा।

C. शुल्क का भुगतान (केवल ऑनलाइन)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के निर्यात प्रदर्शन के अनुसार सदस्यता शुल्क देय है। 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी सदस्यता शुल्क का विवरण और सदस्यता नवीनीकरण के लिए दिशानिर्देश अनुलग्नक -1 (फीस के भुगतान की प्रक्रिया) और अनुलग्नक -2 (सदस्यता शुल्क और सामान्य नियम और विनियम) के तहत दिए गए हैं।

- i) अनुलग्नक 1: शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया
- ii) अनुलग्नक 2: सदस्यता शुल्क और सामान्य नियम और विनियम

सदस्यता शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया इस वर्ष से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। चालान का भुगतान गेटवे के माध्यम से सीधे ऑनलाइन किया जा सकता है या एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफर बैंक के माध्यम से किया जा सकता है, जो वेबसाइट के माध्यम से आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा। परिषद के मौजूदा सदस्य www.gjepc.org पर सदस्यता अनुभाग में लॉगिन करने के लिए पहले दिए गए अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ऑनलाइन मोड (आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस) के माध्यम से फीस के भुगतान के बाद चालान की प्रति को परिषद कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। सदस्य तेज प्रक्रिया के लिए ईमेल के माध्यम से चालान और भुगतान की प्रतिलिपि भेज सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए बैंकों का विवरण अनुलग्नक -3 (बैंक विवरण की जानकारी GJEPC कार्यालयों की सूची) में दिया गया है।

डेबिट / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान का विकल्प चुनने वाले सदस्य ध्यान दें कि सेवा प्रदाताओं द्वारा लगाए गए सुविधा शुल्क का खर्च उन्हें वहन करना होगा।

- i. अनुलग्नक 3: परिषद के स्थानीय कार्यालय की सूची
- ii. भुगतान चालान व निर्यात घोषणा:- भुगतान चालान में निर्यात घोषणा भाग में आइटम वार डेटा को इंगित करने का प्रावधान है।

जो सदस्य स्थानांतरण के माध्यम से भुगतान के लिए चयन कर रहे हैं (आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस) से अनुरोध है कि पहले डैशबोर्ड पर ऑनलाइन चालान भरें और फिर शुल्क राशि को स्थानांतरित करें। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने स्वयं के डैश बोर्ड पर संचार फॉर्म में दिए गए जीएसटी नंबरों और पैन नंबर की जांच करें, यदि कोई त्रुटि हो या पहले नहीं जमा किया गया हो तो संबंधित जीजेईपीसी कार्यालयों को प्रस्तुत करें और उसकी जानकारी दें।

D. सदस्यता प्रमाणपत्र और आरसीएमसी

सदस्य ध्यान दें कि जनवरी 2015 से परिषद ने ऑनलाइन सदस्यता प्रक्रिया लागू की है, ताकि सदस्य सदस्यता जारी होने के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित सदस्यता प्रमाणपत्र का प्रिंट आउट ऑनलाइन ले सकें। इसके साथ ही आरएमसी प्रमाणपत्र भी आपके डैश बोर्ड पर उपलब्ध है और दोनों का प्रिंट आउट आप अपने डैश बोर्ड से ले सकते हैं। पिछले साल की तरह ही, इस साल भी परिषद वित्त वर्ष 2019 -20 की सदस्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन परिषद की वेबसाइट www.gjepc.org पर 1 अप्रैल से प्रस्तुत करेगा।


E. रियायती दर पर केपी प्रमाण पत्र

सभी सदस्यों से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि 30 अप्रैल 2019 तक या उससे पहले अपने सदस्ता का नवीनकरण करें ताकि वे रियायती दरों पर केपी प्रक्रिया का लाभ उठाते रहें। इसके साथ ही परिषद द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं का निर्बाध लाभ प्राप्त करते रहें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे बेहतर सेवाओं के लिए हिंदी / अंग्रेजी में उपलब्ध जीजेईपीसी मोबाइल एप डाउनलोड करें। यदि कोई संदेह हो, तो कृपया हमारे टोल फ्री नंबर 1800-103-4353 पर संपर्क करें।

धन्यवाद

रत्न तथा आभूषण निर्यात परिषद की तरफ से



सब्यासाची राय

कार्यकारी निदेशक

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

ए.डब्ल्यू-1010, टॉवर-ए, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा(पू),
मुंबई 400051.

फोन नंबर: + 9122 26544705/707/708 फैक्स: +9122 26544717/26524764

ई-मेल: membership@gjepcindia.com

अनुलग्नक - 1
सदस्यता नवीनकरण के बारे में

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का ध्यान से पालन करें और किसी भी कठिनाई के मामले में आप तुरंत परिषद से संपर्क कर सकते हैं।

1. भुगतान पावती के साथ चालान की हस्ताक्षरित प्रति या तो ईमेल या कूरियर के माध्यम से परिषद के कार्यालय में जमा करना होगा।
2. सदस्यों से अनुरोध है कि भविष्य के संदर्भ में चालान की एक कॉपी अपने पास भी रखें।
3. चालान और पावती की प्रति ईमेल के माध्यम से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजी जा सकती है।
4. चालान भरते समय किसी भी कॉलम को खाली न छोड़ें व सावधानी पूर्वक पूरा भरें।
5. चालान के मुख्य भाग में शामिल किए गए निर्यातों/आयातों की घोषणा मालिक / भागीदार /निदेशक, जैसा मामला हो, फर्म की मुहर के अधीन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरह की प्रत्येक स्व-घोषणा को परिषद द्वारा सही और वैध माना जाएगा। और सरकार या इस तरह सक्षम प्राधिकरण निकाय के आदेश के तहत निर्देशित को उपलब्ध कराएगी। सदस्य स्पष्ट रूप से अपनी सहमती देते हैं की परिषद को यदि इसे किसी को उपलब्ध कराने, निर्यात / आयात की घोषित मात्रा से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी तृतीय पक्ष के दावों के प्रति और उससे सुरक्षित और हानिरहित रखेंगे, यदि ऐसा कुछ असत्य होता है / या क्षतिपूर्ति की विषय वस्तु बनता है।
6. सदस्यता शुल्क का भुगतान एफ.ओ.बी के आधार पर किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2018-19 के दौरान मणि और आभूषण वस्तुओं के निर्यात का मूल्य (अर्थात् 1-4-2018 से 31-3-2019, दोनों दिन सम्मिलित) जैसा कि अनुबंध 2 में दिखाया गया है।
7. परिषदीय क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित बैंक खातों का विवरण ANNEXURE - 3 के रूप में दिया गया है।
8. परिषद के बैंक खाते में भुगतान जमा होने के बाद ही सदस्यता जारी की जाएगी।

अनुलग्नक - 2

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सदस्यता शुल्क और सामान्य नियम और विनियम

1. सदस्यता शुल्क: वर्ष 2019-20 के लिए सदस्यता शुल्क वर्ष 2018-19 के दौरान इकाई के निर्यात प्रदर्शन के अनुसार देय है, साथ ही चालान में आइटम वार आयात और निर्यात की स्व-घोषणा के साथ।
2. जीएसटी: जैसा लागू हो।
3. वर्ष 2019-20 के लिए अपने सहयोगी सदस्यता / साधारण सदस्यता के नवीकरण के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित सदस्यता देय है:

वर्ष 2018-19 के दौरान मणि और आभूषण का निर्यात प्रदर्शन	2019 - 20 के लिए सदस्य शुल्क	31-03-2019 के आधार पर जीएसटी भुगतान
	रुपए में	
25 लाख से अधिक के निर्यात पर	600	18 प्रतिशत
25 लाख अधिक और 1 करोड़ तक के निर्यात पर	10,000	
1 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक के निर्यात पर	15,000	
5 करोड़ से अधिक और 15 करोड़ तक के निर्यात पर	30,000	
15 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ के निर्यात पर	40,000	
50 करोड़ से अधिक और 100 करोड़ के निर्यात पर	65,000	
100 करोड़ से अधिक और 500 करोड़ तक के निर्यात पर	100000	
500 करोड़ से अधिक और 1000 करोड़ तक के निर्यात पर	150000	
1000 करोड़ से अधिक	200000	

नए सदस्यता या लेट भुगतान के मामले में 5000 और जीएसटी का भुगतान करना होगा।

4. बकाया भुगतान: आगे यह भी नोट किया जाए कि किसी भी सदस्य पर परिषद का पिछले वित्तीय वर्ष का कितना भी या कोई भी बकाया धन राशि है तो वित्त वर्ष 2019-20 की सदस्यता के नवीनीकरण के दौरान उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, जब तक कि परिषद उससे उचित रूप से संतुष्ट नहीं हो जाती है। इस संदर्भ में, कृपया ध्यान रखें कोई बकाया जो परिषद द्वारा इनवॉइस किए जाने की तारीख से तीन महीने से ज्यादा समय से बकाया है, और किसी प्रकार की त्रुटि सदस्य द्वारा 30 दिन के अंदर परिषद के ध्यान में नहीं लाई गई है ऐसे सभी बकाया पर परिषद का निर्णय मुख्य रूप फ़ाइनल माना जाएगा।

5. कंपनियों का समूह: सदस्यों को यह बात भी ध्यान देने की जरूरत है कि वे अपने समूह कंपनियों में से प्रत्येक संस्था के लिए सदस्यता का नवीनीकृत कराएँ, क्योंकि यह आवश्यक व अनिवार्य है। सदस्यता केवल उन इकाईयों या कंपनियों के लिए मान्य होगी जिसके चालान पर सदस्यता नवीनीकरण की जानकारी उपलब्ध होगी। किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि परिषद की प्रासंगिक सुविधाएं केवल उन्हीं सदस्यों तक बढ़ाई जाएंगी, जिनका नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र, फीस चालान, सदस्यता प्रमाणपत्र और पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (RCMC) द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार, यह उचित है कि एक समूह के तहत प्रत्येक इकाई को अपने सदस्यों को यहां निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार नवीनीकृत करना चाहिए।

6. नवीकरण आवेदन प्रस्तुत न करना: सदस्यता के नवीनीकरण की अनुपस्थिति में, फर्म को मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.1 और 11.2 के अनुसार परिषद द्वारा दिए गए विभिन्न विशेषाधिकारों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं होगी और इस तरह की गतिविधियां और भागीदारी निम्न मुद्दों के लिए है -

- भारत / विदेश में किसी भी कार्यक्रम / प्रदर्शनियों में भागीदारी;
- विदेश में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी;
- क्रेता विक्रेता मीट में भागीदारी;
- वार्षिक पुरस्कारों के लिए नामांकन;
- सॉलिटेयर इंटरनेशनल, आइडियल कट और सर्कुलर की रसीद;
- सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेना;
- वीजा के लिए सिफारिश पत्र;
- एफटीपी 2015-20 के पैरा 4.46 के अनुसार विदेशी प्रदर्शनियों, निर्यात संवर्धन यात्राओं, विदेशों में ब्रांडेड आभूषणों के प्रदर्शन आदि में भाग लेने के लिए अनुमतियां
- चुनाव प्रक्रिया में भाग (अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन)
- सदस्यों को लागू रियायती दर पर किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणपत्र जारी करना
- ईसीजीसी नीति के लिए सिफारिश
- विभिन्न बैंकों द्वारा निर्दिष्ट रत्नों और आभूषणों के लिए निर्यात ऋण

सामान्य नियम व शर्तें

1. समझौता ज्ञापन नियमों के ज्ञापन और अनुच्छेदों का विवरण
3. सदस्यों की श्रेणी, और सदस्य के लिए योग्यता

3.1 - सदस्य

परिषद द्वारा 10,000 सदस्यों की संख्या प्रस्तावित है, लेकिन प्रशासन की समिति समय-समय पर, परिषद या गतिविधियों की आवश्यकता के अनुसार, सदस्यों की संख्या में वृद्धि दर्ज कर सकती है। समिति के सदस्य इस तरह की सदस्यता के लिए सदस्य होंगे, परिषद के सदस्य होंगे।

3.2 परिषद के सदस्यों की श्रेणियाँ

परिषद में मुख्य रूप से सदस्यों के लिए निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं -

- A. एसोसिएट सदस्य
- B. साधारण सदस्य

3.3 एसोसिएट सदस्य

भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशक से आयात - निर्यात कोड संख्या प्राप्त करने पर व्यक्ति एसोसिएट सदस्य (सहयोगी सदस्य) के रूप में परिषद में प्रवेश के लिए पात्र होगा, जिसस उत्पाद के साथ परिषद का संबंध है।

3.4 साधारण सदस्य

परिषद की साधारण सदस्यता के पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, अर्थात्:

A) वह, या उसके द्वारा प्रस्तुत इकाई, कम से कम तीन वर्षों के लिए परिषद का एक एसोसिएट सदस्य रहा हो।

B) वह, या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाई, उसके पास या उसके क्रेडिट पर, तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तुरंत पूर्ववर्ती, उत्पाद के संबंध में औसत निर्यात, नीचे उल्लिखित राशि से कम नहीं:

(i) सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम (MSME) - 10 लाख

(ii) अन्य - 25 लाख

8. परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्यता

8.1 अयोग्यता

एक व्यक्ति को परिषद के सदस्य के रूप में होने, या जारी रखने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि:

- यदि वह व्यक्ति योग्य अदालत द्वारा असक्षम चित्त पाया जाता है।
- यदि वह दिवालिया ठहराया जाता है
- अदालत द्वारा उसे किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो व उसे कम से कम अपराध के लिए 6 महीने की जेल की सजा काटी हो।
- वह, या कोई भी फर्म जिसमें वह भागीदार है, या कोई निजी कंपनी जिसका वह निदेशक है, अधिनियम की धारा 184 या धारा 185 का उल्लंघन करता है;
- वह, अधिनियम की धारा 447 के तहत अपराध का दोषी है;
- वह उस इकाई का सदस्य बनना बंद कर देता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है या ऐसी इकाई परिषद का सदस्य बनना बंद कर देती है;
- उसका नाम आर्टिकल 8.2 के तहत सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाता है

1.2 समिति द्वारा हटाना

समिति सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, सदस्य के रजिस्टर से उस सदस्य का नाम हटा सकती है, या तो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या अनिश्चित काल के लिए:

- यदि उसने सदस्यता के लिए किसी शर्त का उल्लंघन किया है या

- यदि उसने छह महीने से अधिक समय से परिषद के सदस्यता शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के संबंध में बकाया रखा है,
- यदि वह परिषद या समिति की बैठकों में अव्यवस्थित आचरण का दोषी पाया गया
- यदि वह अन्यथा किसी सदस्य के असहयोग के लिए दोषी है; या) यदि वह अनुच्छेद 1 के तहत अयोग्य पाया गया है।

8.3 एसोसिएट सदस्यता में रूपांतरण

समिति, किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, एक साधारण सदस्य की सदस्यता को एक सहयोगी सदस्यता में परिवर्तित कर सकती है, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान

उत्पाद के एक निर्यातक के रूप में उसका प्रदर्शन, खंड (b) आर्टिकल 3.4 में उल्लेखित औसत से नीचे है।
11 सदस्यों को विशेषाधिकार

11.1 साधारण सदस्य

बिना किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना, परिषद के एसोसिएशन के ज्ञापन द्वारा साधारण सदस्यों को प्रदान किया जाता है, लेकिन इन लेखों के अन्य प्रावधानों के अधीन, साधारण सदस्यों के निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, अर्थात्:

- ✓ एक उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार, और समिति के सदस्यों के चुनाव में मतदान करने का अधिकार और परिषद की बैठक से पहले लाए गए सभी मामलों पर मतदान करने का अधिकार, बशर्ते कि देय अन्य देय राशि या शुल्क की सदस्यता का कोई बकाया नहीं है मतदान के वर्ष में 1 अप्रैल तक।
- ✓ इन आर्टिकलों में प्रदान की गई बैठक के लिए अनुरोध करने का अधिकार;
- ✓ निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- ✓ निर्धारित शर्तों पर परिषद का प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; तथा
- ✓ ऐसी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार, जिन्हें निर्धारित शर्तों पर परिषद द्वारा समय-समय पर ऐसे सदस्यों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

1.2 एसोसिएट सदस्य

किसी अन्य अधिकारों के पक्षपात के बिना, एसोसिएशन के मेमोरेण्डम एसोसिएशन द्वारा एसोसिएट सदस्यों को सम्मानित किया जाता है, ऐसे सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे;

- निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- निर्धारित शर्तों पर परिषद के प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार;
- ऐसी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार * जो निर्धारित शर्तों पर समय-समय पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

प्राप्त सुविधाएं जैसे कि

- ❖ भारत / विदेश में किसी भी कार्यक्रम / प्रदर्शनियों में भाग लेना;
- ❖ प्रत्यायोजन में भागीदारी;
- ❖ विक्रेता मीट में भागीदारी;
- ❖ वार्षिक पुरस्कारों के लिए नामांकन;
- ❖ सॉलिटैयर इंटरनेशनल, आइडियल कट और सर्कुलर की रसीद;
- ❖ सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेना;

- ❖ वीजा के लिए सिफारिश पत्र;
- ❖ विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए अनुमतियाँ, निर्यात संवर्धन यात्राएं, विदेशों में ब्रांडेड आभूषणों का प्रदर्शन आदि।

13. सुविधाओं पर रोक

13.1 सदस्यता का भुगतान न करना।

यदि कोई सदस्य (साधारण या सहयोगी) उस वर्ष की 30 अप्रैल तक अपनी वार्षिक सदस्यता का भुगतान करने में विफल रहता है, तो

a) वह इस तरह के सदस्य के रूप में किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा

b) समिति अपनी सदस्यता को निलंबित कर सकती है, जो निलंबन तब तक ऑपरेटिव रहेगा जब तक कि वह बकाया का भुगतान नहीं करता है और समिति इस तरह के बकाया को स्वीकार करती है और अपने निलंबन को रद्द करने के बाद उसकी सदस्यता को बहाल करती है।

अनुलग्नक -3

स्थानीय कार्यालयों की जानकारी, जहाँ से सदस्यता जारी की जाएगी।

Regional Office	Name and Contact details for Membership queries	Bank details for payment of Membership fees
MUMBAI The Gem & Jewellery Export Promotion Council Office No. AW 1010, Tower A, G Block, Bharat Diamond Bourse, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400051, Tel: 91 - 22 - 26544600, Fax: 91 - 22 - 26524764 Email: membership@gjepcindia.com Contact: Shri M. S. Pandey, Director-Head Membership	Mr. Kuldeep Singh Gusain/ Ms. Archana Bhosale/ Mr. Mithun Surve Tel:- 022 26544707/8/5 Email- kuldip@gjepcindia.com archana@gjepcindia.com mithun@gjepcindia.com	Bank- ICICI Bank Branch- Tower E, Gr. Flr. BDB, BKC Account No. 000401118218 IFSC Code: ICIC0001217
CHENNAI The Gem & Jewellery Export Promotion Council Ankur Plaza III Floor, 113 (Old No 52) G.N. Chetty Road, T. Nagar Chennai - 17. Email: chennai@gjepcindia.com Contact: Shri R. Surya Narayanan, Asst. Director	Mr. P. Bhanu Prasath Tel : 0091-44-2815 5180 Fax : 0091-44-2815 4526 Email: bhanu.prasad@gjepcindia.com	Account No. 000401118218 IFSC Code: ICIC0001217
NEW DELHI The Gem & Jewellery Export Promotion Council F 17-18, Flatted Factories Complex, Jhandewalan, New Delhi - 110 055. Email : delhi@gjepcindia.com Contact: Shri K.K. Duggal, Director-T&P (N)	Mr. S. Madaan, Tel : 011 - 46266920 to 925 Fax : 011 - 23675274 Email: madaan@gjepcindia.com	Account No. 000401118218 IFSC Code: ICIC0001217
JAIPUR The Gem & Jewellery Export Promotion Council Rajasthan Chamber Bhawan, 3rd Floor, Mirza Ismail Road, Jaipur - 302 003. Email : jaipur@gjepcindia.com Contact : Shri Sanjay Singh, Regional Director	Mr. E.K. Sasi Kumar Tel: 0141-2568029, 2574074 Fax : 0091-141-256 7921 / 257 4078 e-mail: sasi@gjepcindia.com	Account No. 000401118218 IFSC Code: ICIC0001217
KOLKATA The Gem & Jewellery Export Promotion Council Vanijya Bhavan, 6th Flr, Left Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata: 700 016., Email: kolkata@gjepcindia.com Shri Sanjay Singh, Regional Director-Jaipur (Additional Charge)	Mr. Abdul Salim, Tel : 033-2282 3630/3629 Fax : 033-2282 3629 Email : salim@gjepcindia.com	Account No. 000401118218 IFSC Code: ICIC0001217
SURAT The Gem & Jewellery Export Promotion Council 401-A, International Commerce Centre, Near Kadiwala School, Ring Road, Surat - 395002 , Email : surat@gjepcindia.com Contact: Ms. Jilpa Sheth, Director	Ms. Rachna Shah Tel : 0091-261-2209000 Fax : 0091-261-2209040 Email: Rachna.Shah@gjepcindia.com	Account No. 000401118218 IFSC Code: ICIC0001217